01/6/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय-
पक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता
है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया
गया। नेपथ से जुड़ा।

निर्णय सुनाया गया।

BV

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/427

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 165/2025
जीसीएमएस :– 2025/427

–: अनवान :–

दुलाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी 10 एस.पी.डी. सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगानगर राजस्थान।

... प्रार्थी

बनाम

1. सुलतान पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. शाखा प्रंबधक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राकेश कुमार मनचंदा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 01.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी दुलाराम के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 10 एस.पी.डी. पटवार हल्का सरदारपुरा खर्था भू.अभि.नि.क्षेत्र ठेठार की जमाबंदी अंतिम चौसला आधार संवंत 2075–2078 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 28 नया, 26 पुराना में पत्थर नम्बर 91/388 मु.न. 36 किला नम्बर 15, 16, 25 में 0.7590 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 91/389 मु.न. 41 किला नम्बर 5 में 0.2530 हैक्टेयर कमाण्ड कुल खाता 1.0120 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थी को अपने उक्त वर्णित रकबा में जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के सबसे नजदीक स्वीकृत रास्ता चक 10 एस.पी.डी. के पत्थर नम्बर 91/387 मु.न. 21 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 में स्थित हैं। इस रास्ता की भूमि में किला नम्बर 25/2 से दक्षिण की तरफ पत्थर नम्बर 91/388 मु.न. 41 के किला नम्बर 5/2 में बने खाला के उपर पुलिया बनी हुई हैं उससे होकर किला नम्बर 5/1 व 6 में उतर से दक्षिण इन किलो की पूर्वी पासा में घरेलू तौर रास्ता प्रार्थी के खेत किला नम्बर 15 तक चल रहा हैं। प्रार्थी इसी रास्ता से अपने खेत में आवागमन करता हैं। चक 10 एस.पी.डी. के पत्थर नम्बर 91/388 मु.न. 41 के किला नम्बर 5/1 व 6 अप्रार्थी संख्या 1 सुलतान पुत्र मूलाराम के नाम से खातेदारी हैं। उक्त रास्ता मौके पर चल रहा हैं। प्रार्थी के रकबा में

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 165/2025)

आवागमन के लिए प्रार्थी उक्त वर्णित चालू रास्ता चक 10 एस.पी.डी. के पत्थर नम्बर 91/388 मु.न. 41 के किला नम्बर 5/1 में 0.017 हैक्टेयर कमाण्ड व किला नम्बर 6 में 0.019 हैक्टेयर कमाण्ड प्रार्थी के रकबा तक रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हैं। यही रास्ता प्रार्थी की भूमि के सबसे समीपस्थ हैं। प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ता से अपनी भूमि में आना जाना करता हैं परन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत शुदा नहीं होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई स्वीकृत रास्ता प्रार्थी की भूमि को नहीं लगता हैं। चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी की भूमि के समीपस्थ हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि तहसील सूरतगढ़ के चक 10 एस.पी.डी. के पत्थर नम्बर 91/388 मु.न. 41 के किला नम्बर 5/1 में 0.017 हैक्टेयर व किला नम्बर 6 में 0.019 हैक्टेयर इन किलो में पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण प्रार्थी के रकबा तक रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम से जारी किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अभिभाषक हाजिर आया तथा अपना जवाब लिखित में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार योग्य नहीं हैं। चाहे गये रास्ता की भूमि में ट्युबवैल लगा हुआ हैं। प्रार्थी पत्थर नम्बर 91/388 के किला नम्बर 22, 23, 24 के दक्षिणी पासा में स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर अपनी खातेदारी भूमि में आता जाता हैं। प्रार्थी के समीपस्थ रास्ता ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति चमार निवासी सरदारपुरा खर्था की चक 10 एसपीडी के पत्थर नम्बर 91/388 किला नम्बर 22, 23, 24 से केवल 3.00 बीघा लगता हैं इसके अलावा जो रास्ता चाह रहा हैं वह 13 बीघा घूमकर हैं। जानबूझकर प्रार्थी के द्वारा यह तथ्य माननीय न्यायालय से छिपाये गये है और ओमप्रकाश आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उसे इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सूरतगढ़ की मार्फत प्रार्थी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट किये जाने से पूर्व ना तो अप्रार्थी को गिरदावर सर्किल व तहसीलदार द्वारा नियमानुसार सूचित किया गया और ना ही पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया एवं ना ही मौका निरीक्षण किया गया है। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट तहसीलदार पूर्व में आ जाने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रिपोर्ट तहसीलदार/भू0अ0नि0 ठेठार अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता हैं तथा सबसे समीपस्थ रास्ता यह ही हैं। अप्रार्थी द्वारा जो रास्ता बताया हैं व 4 बीघा दूर हैं जबकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र 2 बीघा दूर हैं इसलिए कानून की मन्शा भी यही हैं कि सबसे समीपस्थ रास्ता ही मंजूर किया जावे। अप्रार्थी प्रार्थी का सगा भाई हैं। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी न. 1 ने रास्ता स्वीकार करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद एक छोटा सा कमरा रास्ता अवरूद्ध करने व रास्ता स्वीकृत नहीं हो सके, के आशय से बना लिया जिसे हटाया जाकर रास्ता स्वीकृत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 165/2025)

कर चालू किया जावे। रिपोर्ट अनुसार यह भी साबित हैं कि प्रार्थी को कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। इसलिए चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्यां 1 ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार योग्य नहीं हैं चूंकि खाला पर पुलिया नहीं हैं तथा ट्युबवैल लगा हुआ है तथा ट्युबवैल के आगे छोटा कमरा बना हुआ हैं। प्रार्थी किला नम्बर 22, 23, 24 में रास्ता स्वीकृत करवा सकता हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व रिपोर्ट तहसीलदार व नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिपोर्ट व नक्शा के अवलोकन अनुसार प्रार्थी द्वारा चक 10 एस.पी.डी. के पत्थर नम्बर 91/388 के किला नम्बर 5 व 6 में रास्ता चाहा गया हैं जो कि पत्थर नम्बर 91/387 के किला नम्बर 21 ता 25 में चल रहे स्वीकृत रास्ता से मिलान हो जाता है। प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं चाहे गये रास्ते में कोई पेड़ व मकान नहीं हैं। अप्रार्थी न. 1 का किला नम्बर 5 में उतरी पूर्वी कोने में ट्युबवैल लगा होने की रिपोर्ट है। ट्युबवैल के पश्चिम दिशा में रास्ता स्वीकार किया जाना कानूनसम्मत हैं। चूंकि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत तक जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे जाने वाला रास्ता स्वीकार किया जाना उचित हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 10 एस.पी.डी. पटवार हल्का सरदारपुरा खर्था के पत्थर नम्बर 91/388 मु.न. 36 के किला नम्बर 5/1 में 0.017 हैक्टेयर (पूर्वी पासा में मौके पर चल रहे पक्का खाला की भूमि व ट्यूबवैल को छोड़कर) तथा किला नम्बर 6 में 0.019 हैक्टेयर(पूर्वी पासा में मौके पर चल रहे पक्का खाला की भूमि छोड़कर) भूमि गै.मु.रास्ता के रूप में स्वीकृत की जाती हैं। स्वीकृत किये गये रास्ता की भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि प्रार्थी से जमा करवाई जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मांग करने पर उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 को दी जावे। राशि जमा होने पर उक्त अनुसार तहसीलदार सूरतगढ़ रिकार्ड जमाबंदी में अंकन करे, चूंकि रास्ता स्वीकृत होने वाली भूमि बैंक रहन हैं परन्तु रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता होने पर मात्र रास्ता में दर्ज होने वाली भूमि पर रहन हटा कर गै0मु0 रास्ता में दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है, शेष भूमि पर रहन यथावत रहेगा व मौका पर अगर रास्ता बंद हो तो उसे खुलवाने की कार्यवाही करें। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 .को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)